भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in
Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE NO. 08/2019

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - आर टी आई अधिनियम 2005 धारा 5(1) के तहत सी पी आई ओ का संशोधन – के संबंध में|

Sub: Right to Information Act, 2005 – Modification of CPIO under Section 5(1) RTI Act 2005- Reg.

* * * * * * * * **

आम जनता और व्यापारियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, दिनांक 31.01.2019 के सार्वजनिक सूचना 03/2019 के आंशिक संशोधन में, पैरा संख्या (5) में, कॉलम संख्या (2) में सी पी आई ओ के रूप में डॉ राजी एन एस (उप आयुक्त) का नाम हटाया जाता है|

The General Public and Trade are hereby informed that, in partial modification to the Public Notice 03/2019 dated 31.01.2019, the name of Dr. Raji N S (Deputy Commissioner) as the CPIO in Para No. (5), columns no. (2) stand deleted.

हस्ता Sd/-
(सुमित कुमार Sumit Kumar)
सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

F.No. S65/01/2019 CCU. Cus.
दिनांक Dated: 12.03.2019

// सत्यापित Attested //

बैजु डेनियल Baiju Daniel
मूल्य निरूपक अधिकासी सी सी यू Appraising Officer (CCU)

प्रति To,

1. **मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, तिरुवनन्तपुरम ज़ोन,कोचीन**
   The Chief Commissioner of Customs, Central Excise, Central Taxes, Thiruvananthpuram Zone
2. **संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner**
3. **सभी सहा.आयुक्त/उप आयुक्त/अनुभाग/आ सी सी/ पी ए डी/सी एस ई ज़ेड /सी एस एल /सी एफ एस All DCs/ACs/Sections/Airport/ACC/PAD/CSEZ/CSL/CFSs**
4. **आयुक्त की फाइल/ सूचना पट्ट/ई डी आई को अपलोड हेतु Commissioner file/Notice Board/EDI for uploading**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in
Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE

विषय: - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

Subject: - Publishing of Information under Section 4(1) (b) of Right to Information Act, 2005 – reg.

****

आम जनता और व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक सूचना संख्या 03/2019 दिनांक 31.01.2019 के आंशिक संशोधन में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, के धारा 5 (1) के प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क गृह, कोचीन के अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जिनका पदनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है, उन्हें आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों में अधिसूचित किया जाता है।

The general public and the trade are herby informed that in partial modification of Public Notice No. 03/2019 dated 31.01.2019 and in term of the provisions of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Custom House, Cochin, the officers mentioned Designation of Central Public Information Officers and Appellate authority under Right to information Act, 2005, are notified in matters relating to the jurisdiction of commissioner of Customs, Cochin with immediate effect until further orders.

क्रम संख्या Sl.no.	नाम तथा पदनाम **Name & Designation**	संपर्क संख्या Contact No.	ई-मेल आई डी Email Id	फैक्स संख्या Fax No.
1.	**मुख्य आयुक्त Chief Commissioner पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao**	0484-2397542	cccochin[at]nic[dot]in	0484-2397884
2.	**सुमित कुमार Sumit Kumar सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs**	+91 484-2668068 , 7594934410	commr[at]cochincustoms[dot]gov[dot]in	0484-2668468

3.	**बी जी कृष्णन B G Krishnan** **संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner** **(वायु सीमाशुल्क, ए सी सी, विशेष मूल्यांकन ब्रांच, सिस्टम प्रबन्धक, वेयरहाउस, डिस्पोजल, नीलामी अनक्लियर्ड कार्गो, परिवीक्षा सेल, कानूनी , स्थापना, प्रशासन, पत्राचार, नकद एवं लेखा, कर्मचारी कल्याण, हिंदी, एम सी डी, लैब, लेखापरीक्षा, ड्राबैक और रिफंड, एस आई आई बी, निवारक , पी आर डी, डॉक्स, सी एफ एस, अनधिकृत बैगेज, पी ए डी, आर आर सेल, सांख्यिकी , आई एंड बी, बॉन्ड्स, आयात मूल्य निरूपक , लाइसेंसिंग, सी एस एल, टैरिफ यूनिट, स्वच्छता अभियान, क्रीड़ा तथा संस्कृतिक सेल, आई ए डी, ई ओ डी सी , ए ई ओ सेल सेल, ब्रांड रेट सेल, आईजी एस टी रिफंड, ई ओ यू, सी सी यू)** (Air Customs, ACC, Special Valuation Branch, Sytem Manager, Warehouse, Disposal, Auction, Uncleared Cargo, Review Cell, Legal, Establishment, Admin, Correspondence, Cash & Accounts, Staff Welfare, Hindi, MCD, Lab, Audit, Drawback and Refund, SIIB, Preventive, PRD, Docks, CFS, Unaccompained Baggage, PAD, RR Cell, Statistics, I & B, Bonds, Appraising Imports, Licensing, CSL, Tarrif Unit, Swachatha Abhiyan, Sports and Cultural Cell, IAD, EODC, AEO Cell, Brand Rate Cell, IGST Refund, EOU, CCU)	+91 484 - 2668366	Sysmgr.cok1[at]icegate[dot]gov[dot]in	0484-2668468
4.	**डॉ. राजी एस. Dr Raji N S** **उप आयुक्त Deputy Commissioner** **(आई एण्ड बी , लाइसेंसिंग अनुभाग , सभी लाइसेंसिंग संबंधित कार्य, ग्रुप VII अवशिष्ट कार्य, टैरिफ यूनिट, मूल्य निरूपण अध्याय 01 से 39, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ई ओ डी सी , निवारक , पी आर डी , क्रूज टर्मिनल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक सेल, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, स्वच्छता अभियान, सी पी डब्ल्यू डी से संबंधित कार्य)** (I & B, Licensing Section, All Licensing related work, Group VII Residual work, Tariff Unit, Appg Chapter 01 to 39, Cochin Shipyard Ltd, EODC, Preventive, PRD, Cruise Terminal, Infrastructure, Cultural Cell, Open Source Intelligence, swachhta Abhiyan, work related to CPWD)	+91 484 2669158	raji[dot]nsavithri[at]yahoo[dot]in	0484-2668468

5.	**महेंद्र वर्मा आर.ए.Mahendra Verma R A** **उप आयुक्त Deputy Commissioner** (एम सी डी, मूल्य निरूपण, अध्याय 40 से 98, बॉन्ड तथा सभी लंबित मामलों सहित लंबित अनंतिम मूल्यांकन केसों का परिसमापन।) (MCD, Appg Chapter 40 to 98, Liquidation of pending Provisional Assessment Cases including Bonds & all pending cases.)	+91 484 2666328	ramahendiravarmaa[at]yahoo[dot]com	0484-2668468
6.	**वी ए मोईदीन नैना V A Moideen Naina** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** (एयरपोर्ट "बी" बैच, सीमाशुल्क गृह का खेल प्रभार (Airport "B" Batch, sports charges of custom House)	+91 484 2610078	moideen[dot]naina[at]gov.in	0484-2610075
7.	**विक्रम कौशिक Vikram Kaushik** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** (पी ए डी ,पी ए डी के संबंध में सभी निवारक और सिस्टम संबंधी कार्य) (PAD, All Preventive & System related work w.r.t. PAD)	+91 484 2666612	vikramkoushik21[at]rediffmail[dot]com	0484-2668468
8.	**एम एस सुरेश M S Suresh** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात, निर्यात, सामान), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सिस्टम प्रबन्धक| Air Cargo Complex (Import, Export, Baggage),System Administrator of Air cargo complex.	+91 484 2668040	suresh[dot]ms[at]gov[dot]in	0484-2668468
9.	**मधुर्ज्य रे हजोंग Madhurjya Ray Hajong** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** (एयरपोर्ट "सी" बैच) (Airport "C" Batch)	+91 484 2610078	mr[dot]hajong[at]gov[dot]in	0484-2610075
10.	**साबू सबास्टेयन Sabu Sebastian** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** **(आर आर सेल, एस आई टी ई , एस आई आई बी, डी आई जी आई टी, विशेष जांच ब्रांच, एल आर एम, ए ई ओ, उप-प्रणाली प्रबंधक, ई डी आई और सिस्टम संबंधी सभी कार्य।)** (RR Cell,SITE, SIIB, DIGIT, Special Valuation Branch, LRM, AEO, Dy. System Manager, EDI & All system related work.)	+91 484 2669030	saby1355[at]gmail[dot]com	0484-2668468
11.	**फिलिप सबास्टेयन Philip Sebastian** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** कानूनी- I और II (सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मॉनिटरिंग सेल), रिव्यू- II (सेटलमेंट कमीशन, रिविजन आवेदन), प्रॉसिक्यूशन, डॉक्स, Q10, एशियन टर्मिनल, सी एफ एस	+91 484 2666422	phillipsebastian50[at]gmail[dot]com	0484-2668468

	पेटा, ई ओ यू सेल, यू बी (डॉक्स), सी सी यू (तकनीकी), अवशिष्ट पी सी कार्य, सी एन ए जी, अनुवर्ती, निर्यात मूल्यांकन (सिस्टम से संबंधित कार्य को छोड़कर), वेयरहाउस, निपटान, नीलामी, निकासी नही किए गए कार्गो। Legal-I &II (Supreme court & High Court Monitoring Cell), Review-II (Settlement Commission, Revision application), Prosecution, Docks, Q10, Asian Terminal, CFS Pettah, EOU Cell, UB (Docks), CCU (Technical), Residual PC work, CNAG, Follow-up, Export Assessment (Except system related work), Warehouse, Disposal, Auction, Uncleared Cargo.			
12.	**जोसेफ सबास्टेयन Joseph Sebastian** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** कंटेनर स्कैनिंग सेल, आई सी टी टी , डॉक्स (जी डी के एल , एम आई वी , के एस आई ई , एफ ए एल सी ओ एन , सी ओ एन सी ओ आर से संबंधित सभी काम, निर्यात मूल्यांकन (सिस्टम संबंधी काम को छोड़कर) शिपिंग बिल की पुनर्मुद्रण w.r.t डॉक्स। Container scanning Cell, All work related to ICTT, Docks (GDKL, MIV, KSIE, FALCON, CONCOR), Export Assessment (Except system related work) Reprint of shipping Bill w.r.t the docks.	+91 484 2666422	joseph2860[at]gmail[dot]com	0484-2668468
13.	**लखी नारायण दास Lakhi Narayan Das** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** कानूनी- III (कैट मॉनिटरिंग सेल), (सी ई एस टी ए टी मॉनिटरण सेल), सांख्यिकी, राजभाषा इकाई, सेवोत्तम, पत्राचार, एम सी डी। Legal-III (CAT Monitoring Cell), (CESTAT Monitoring Cell), Statistics, Official Language Unit, Sevottam, Correspondence, MCD.	+91 484 2668040	lakhindas[at]rediffmail[dot]com	0484-2668468
14.	**ई वी सिवरामन E V Sivaraman** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** **(आई ए डी, ड्राबैक, रिफंड, (आई गी एस टी , एस ए डी , अपील), समीक्षा- I, ब्रांड दर सेल)** (IAD, Drawback, Refund,(IGST, SAD, appeal), review-I, Brand rate Cell)	+91 484 2668040	sivaraman[dot]ev[at]gov[dot]in	0484-2664668
15.	**रॉय वर्गीस Roy Varghese** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** **(हवाई अड्डा "ए" बैच)**(Airport "A" Batch)	+91 484 2610078	albinroy898[at]gmail[dot]com	+91 484 2610075
16	**ई के बाबू E.K.Babu**	-	ekbabu2009[at]gmail[dot]com	-

[redacted]

	सहा. आयुक्त Assistant Commissioner			
17	**रोमी एन पिनादन Romi N Pynadan** **सहा. आयुक्त Assistant Commissoner** **एयरपोर्ट (प्रशासन), ए सी सी (कूरियर सेल एंड इंटेलिजेंस यूनिट), ए सी सी की अन्य सभी एजेंसियों के साथ संपर्क एवं समन्वयन** Airport (Admin), ACC(Courier Cell & Intelligence Unit), Liason and co-ordination with all other agencies of ACC.	+91 484 2610099	romin[dot]pynadan[at]gov[dot]in	+91 484 2610099
18	**फ्रांसिस के ए Francis K A** **सहा. आयुक्त Assistant commissioner** (एयरपोर्ट, ए आई यू) (Airport, AIU)	+91 484 2610078	fskodankandath[at]yahoo[dot]com	+91 484 2610075
19	**कोशी अलेक्स Koshy Alex** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** **(स्थापना, प्रशासन, सतर्कता, प्रशिक्षण, नकद और लेखा, कर्मचारी कल्याण)** (Establishment, administration, Vigilance, Training, Cash & Account, Staff Welfare)	+91 484 2666328	koshy.alex[at]gov[dot]in	+91 484 2668468
20	**पी सी अजित कुमार P C Ajith Kumar** **सहा. आयुक्त Assistant Commissioner** एयरपोर्ट (D बैच) Airport (D Batch)	+91 484 2610078	ajipurathanayil[at]gmail[dot]com	0484-2610075
21	**भुवन राम Bhuvan Ram** **रसायन परीक्षक**(ग्रेड I) **Chemical Examiner** (Grade I)	+91 484 2666479	chemicallaboratorycustoms[at]gmail[dot]com	0484-2666479
22	**आई के जयश्री I.K.Jayasree** **मुख्य लेखा अधिकारी** (नकद तथा लेखा) **Chief Accounts Officer** (Cash & Accounts)	+91 484 2669265	cashcochincustoms[at]gmail[dot]com	0484-2668468

2. सीमा शुल्क आयुक्त (सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के मुख्य आयुक्त द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2018 (सी सी ओ)का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है:

Jurisdiction of Commissioner of Customs (Pubic Notice No. 01/2018 (CCO) issued by Chief Commissioner of Customs & Central Excise, Thiruvanathapuram Zone) is as follows:

निवारक, मूल्यनिरूपक और मंत्रीस्तरीय अधिकारी सीमाशुल्क गृह के विभिन्न कार्यों को संभालते हैं। सीमाशुल्क गृह का अधिकार क्षेत्र वेबसाइट www.cochincustoms.gov.in के हमारे बारे में टैब के तहत भी उपलब्ध कराया जाता है। निवारक विभाग सीमाशुल्क गृह के अधिकार क्षेत्र के भीतर तस्करी

विरोधी कार्यों और संचालन का प्रभारी है। सीमाशुल्क गृह एक पूर्ण प्रयोगशाला से सुसज्जित है जो आयातित / निर्यात किए गए विभिन्न सामानों का विश्लेषण करता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वर्गीकरण और मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रयोगशाला राज्य में विभिन्न कारखानों में निर्मित वस्तुओं का रासायनिक विश्लेषण भी करती है। विशेष जांच शाखा को आयात और निर्यात में आर्थिक अपराधों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। हवाई खुफिया इकाई हवाई अड्डे पर तस्करी-रोधी अभियानों को अंजाम देती है। डाक मूल्य निरूपक विभाग डाक के माध्यम से आयातित और निर्यात किए गए सामानों की जांच करता है, जो डाक अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में कार्य करता है।

Preventive, Appraising and Ministerial handle the various functions of the Custom House. Jurisdiction of the Custom House is also made available under the tab About us on the website www.cochincustoms.gov.in. The Preventive Department is in charge of the anti-smuggling functions and operations within the jurisdiction of the Custom House. The Custom House is equipped with a full-fledged Laboratory which undertakes analysis of various goods imported / exported. The laboratory also undertakes chemical analysis of the goods manufactured in various factories in the State for the purpose of classification and assessment under the Central Excise Tariff Act. The Special Investigation Branch is entrusted with the work of detecting economic offences in the import and export. The Air Intelligence Unit spearheads the anti-smuggling operations at the Airport. The Postal Appraising Department handles the articles imported and exported through Post, which function in close liaison with the Postal Authorities.

व्यापार सुविधा के लिए और सीमाशुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में व्यापार की समस्याओं को दूर करने के लिए समय-समय पर ओपन हाउस बैठकें आयोजित की जाती हैं। लोक शिकायत प्रकोष्ठ, सीमाशुल्क सलाहकार समिति, कर दाता समिति और सूचना सुविधा प्रकोष्ठ भी सीमाशुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। किसी भी मामले में आयातकों / निर्यातकों या यात्रियों द्वारा सीमा शुल्क से संबंधित समस्याएं जिसमें माल या सामान की निकासी या प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां आती हैं पर चर्चा और निपटान आदि इन समितियों द्वारा किया जाता है। बैठक के विस्तृत कार्यवृत्त को प्रत्येक बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाता है और वेबसाइट www.cochincustoms.gov.in.के "ओपन हाउस मीटिंग्स" टैब के तहत उपलब्ध कराया जाता है।

Open House Meetings are conducted periodically for trade facilitation and to address the concerns of the trade, chaired by the commissioner of customs. Public Grievance Cell, Customs Advisory Committee, Tax Payers Committee and Information Facilitation Cell are also functioning under the chairmanship of the Commissioner of Customs. Problems faced by the importers / exporters or passengers in any matter pertaining to Customs including clearance of the cargo or baggage or procedural difficulties are discussed and settled by these Committees. Detailed Minutes of the Meetings are made public after each meeting and made available under the Tab “Open House Meetings” of website www.cochincustoms.gov.in.

3.सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 5 के तहत परिभाषित किया गया है।

Powers & Duties of Officers of Customs are defined under Section 5 of Customs Act, 1962.

सीमा शुल्क के अधिकारियों की शक्तियाँ। - (1) बोर्ड द्वारा लगाई जा सकने वाली ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, सीमाशुल्क का एक अधिकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।

seemaPowers of officers of customs. - (1) Subject to such conditions and limitations as the Board may impose, an officer of customs may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this Act.

(2) इस अधिनियम के तहत सीमाशुल्क का एक अधिकारी, उसके अधीनस्थ सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी को **प्रदत्त या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन** कर सकता है और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है|

An officer of customs may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under this Act on any other officer of customs who is subordinate to him.

(3) तथापि इस अनुच्छेद में किसी तथ्य के शामिल होते हुए भी, अध्याय XV और धारा 108 में निर्दिष्ट शक्तियों के अलावा एक आयुक्त (अपील) सीमाशुल्क के किसी अधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा|

Notwithstanding anything contained in this section, a Commissioner (Appeals) shall not exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on an officer of customs other than those specified in Chapter XV and section 108.

सी बी ई सी की अधिसूचना संख्या 40/2012 के द्वारा सीमाशुल्क के अधिकारियों को कार्यों को सौंपा गया है। अधिसूचना संख्या 40/2012 दिनांक 02 मई 2012 इस प्रकार है:

CBEC vide Notification No. 40/2012 has assigned the functions of officers of Customs. Notification No. 40/2012 dated 02nd May 2012 is as follows:

अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमा शुल्क (N.T.) Notification No. 40/2012-Customs (N.T.)

2 मई, 2012 को नई दिल्ली New Delhi, dated the 2nd May, 2012.

एस. ओ.(ई) - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) के अधिकारियों तथा उनसे ऊंचे पद के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम,1962 के विभिन्न अनुच्छेदों के संबंध में उक्त तालिका के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि में दिए गए उचित अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट करता है:-

S.O. (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby assigns the officers and above the rank of officers mentioned in Column (2) of the Table below, the functions as the proper officers in relation to the various sections of the Customs Act, 1962, given in the corresponding entry in Column (3) of the said Table:-

तालिका **Table**

क्रम संख्या **Sl. No.**	अधिकारियों का नाम **Designation of the officers**	सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत कार्य **Functions under Section of the Customs Act, 1962**
(1)	(2)	(3)
1.	सीमाशुल्क आयुक्त् Commissioner of Customs.	Section 33.
2.	सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सानुक्त आयुक्त Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs.	Sub-section (5) of section 46; and Section 149.
3.	सीमाशुल्क उप आयुक्त या सहायक आयुक्त तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise.	Sub-section (5) of section 17; Section 18; Section 21; Section 22; Section 26A; Section 28; Section 28B; Section 28BA; Section 30; Sub-section (2) of section 31; Section 32; Proviso to section 34; Section 35; Section 42; Sub-section (3) of section 45; Second Proviso to sub-section (1) of section and sub-section (2) of section 46; Section 48; Sub-section (3) of section 54; Section 59; Section 60; Section 61; Section 63; Clause (f) of section 64; Section 67; Section 72; Section 73; (xxvii) Section 80; (xxviii) Section 85; (xxix) Section 89; (xxx) Section 97; (xxxi) Sub-section (1A) of section 110; (xxxii) Section 129A; (xxxiii) Section 129DD; (xxxiv) Section 129E; (xxxv) Section 130D; and

		(xxxvi) Section 142.
4.	राजस्व आसूचना महानिदेशालय तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय के उप निदेशक या सहायक निदेशक Deputy Director or Assistant Director in the Directorate General of Revenue Intelligence and Directorate General of Central Excise Intelligence.	Section 28B; and Section 72.
5.	सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक या मूल्य निरूपक Superintendent of Customs and Central Excise or Appraiser	Section 13; Section 14; Sub-sections (2), (3), (4) and (6) of section 17; Section 19; Section 40; Section 41; Clause (b) of sub-section (2) of section 45; Sub-sections (1) and (4) of section 46; Section 47; Section 50; Section 51; Section 54; Section 62; Clause (a) to (e) of section 64; Section 68; Section 69; Section 79; Section 83; Section 86; Section 92; and Section 93.
6.	राजस्व आसूचना महानिदेशालय तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय के आसूचना अधिकारी Intelligence Officer in the Directorate General of Revenue Intelligence and Directorate General of Central Excise Intelligence.	Section 37; Section 100; Section 103; Section 106; Section 106A; (vi) Sub-sections (1) and (3) of section 110; (viii) Section 144; and (ix) Section 145.
7.	सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक या निवारक अधिकारी या परीक्षक अधिकारी Inspector of Customs and Central Excise or Preventive Officer or Examining Officer.	Sub-section (1) of section 31; Section 34 excluding proviso to the section; Section 37; Section 38; Section 39; Clause (a) of sub-section (2) of section 45; Section 77; Section 94;

		Section 95; Section 100; Section 103; Section 106; Section 106A; Sub-sections (1) and (3) of section 110; Section 144; and Section 145.

[F.No. 437/1/2011-Dir (Cus)]
(Vikas)
अवर सचिव भारत सरकार Under Secretary to the Government of India

4.नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख संबंधित शीर्षों के तहत वेबसाइटों पर जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

Rules, Regulations, Instructions, Manuals & Records have been made available to the public on the websites under respective heads.

www.cochincustoms.gov.in
www.cbec.gov.in

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका - अनुलग्नक -1

Directory of it's officers and employees - **Annexure-1**

इसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके नियमों के अनुसार मुआवजे की व्यवस्था साथ प्राप्त मासिक पारिश्रमिक - अनुलग्नक -2

Monthly remuneration received by each of it's officers and employees, including system of compensation as provided in it's regulations – **Annexure-2**

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट के विवरणों को दर्शाते हुए प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट - अनुलग्नक -3

Budget allocated to each it's agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made – **Annexure-3**

5.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकार का पदनाम

Designation of Central Public Information Officers and Appellate Authority under Right to Information Act, 2005.

क्रम सं ख्या Sl. No.	सी पी आई ओ का नाम तथा पता Name of CPIO & Address	अधिकार क्षेत्र Jurisdiction	ई-मेल Email	दूरभाष संख्या Phone Nos.
1	**रोमी एन पिनादन(सहा. आयुक्त) Romi N Pynadan (Assistant Commissoner)**	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कोचीन, नेदम्बस्सेरी, कोचीन से संबंधित सभी मामले। All matters relating to Air Cargo Complex, Cochin, Nedumbassery, Cochin.	romin[dot]pynadan[at]gov[dot]in	+91 484 2610099
2	**एम एस सुरेश (सहा. आयुक्त) M S Suresh (Assistant Commissioner)**	एयरपोर्ट से संबंधित सभी मामले (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को छोड़कर), कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेदम्बसेरी, कोचीन All matter relating to Airport (except Air Cargo Complex), Cochin International Airport, Nedumbassery, Cochin	suresh[dot]ms[at]gov[dot]in	+91 484 2610078
3	**कोशी अलेक्स (सहा. आयुक्त) Koshy Alex (Assistant Commissioner)**	एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कोचीन सहित अन्य इकाइयों और प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी मामले; प्रशासन; पत्राचार ; सी ए; आँकड़े; कर्मचारी कल्याण; हिंदी; कानूनी, मूल्य निरूपक ग्रुप समूह, निर्यात, निर्यात प्रलेखन केंद्र, निवारक; पी आर डी; निपटान; नीलामी; अस्पष्टीकृत कार्गो,	koshy.alex[at]gov[dot]in	+91 484 2667793

		रिफंड, ऑडिट,पी ए डी; डॉक्स; आर आर सेल; सी एफ एस , परीवीक्षा सेल, आई एण्ड बी , बॉन्ड; सी एस एल; अनधिकृत बैगेज, ड्रा बैक, एस आई आई बी और सीमा शुल्क प्रयोगशाला All matters relating to Units and Sections other than Airport and Air Cargo Complex, Cochin including Establishment; Admn; Correspondence; C&A; Stats; Staff Welfare; Hindi; Legal, Appraising Groups, Exports, Export Documentation Centre, Preventive; PRD; Disposal; Auction; Uncleared Cargo, Refund, Audit, PAD; Docks; RR Cell; CFS, Review Cell, I&B, Bonds; CSL; Unaccompanied Baggage, Drawback, SIIB and Customs Laboratory	raji[dot]nsavithri[at]yahoo[dot]in	0484 - 2669158

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकार का पदनाम

Appellate Authority under Right to Information Act, 2005:-

अपीलीय प्राधिकार का नाम तथा पता Name & Address of Appellate Authority	ई-मेल Email	दूरभाष संख्या Phone Nos.
सुमित कुमार आयुक्त, सीमाशुल्क गृह , विलिंगडन आइलैंड, कोचीन Sumit Kumar Commissioner, Custom House, Willingdon Island, Cochin	commr[at]cochincustoms[dot]gov[dot]in	0484-2668068 Fax : 0484-2668468

हस्ता **Sd/-**

(सुमित कुमार Sumit Kumar)

सीमाशुल्क आयुक्त **Commissioner of Customs**

* Modification in PN No. 03/2019

F.No.S.65/01/2019.CCU.CUS

दिनांक **Date: 12.03.2019**

// सत्यापित Attested //

बैजु डेनियल **Baiju Daniel**

मूल्य निरूपक अधिकासी सी सी यू **Appraising Officer (CCU)**

प्रति To,

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पादशुल्क तिरुवनंतपुरम जोन
   The Chief Commissioner of Customs, Central Excise, Central Taxes, Thiruvananthpuram Zone
2. संयुक्त आयुक्त **Joint Commissioner**
3. सभी उप आयुक्त/सहा.आयुक्त/अनुभाग/एयरपोर्ट/ए सी सी/पी ए डी/सी एस ई ज़ेड/सी एस एल /सी एफ एस
   All DCs/ACs/Sections/Airport/ACC/PAD/CSEZ/CSL/CFSs
4. आयुक्त की फ़ाइल/ सूचना पट्ट/अपलोड हेतु ई डी आई अनुभाग को **Commissioner file/Notice Board/EDI for uploading**